

न्यायालय सिविल जज (जू०डि०) / न्यायिक मजिस्ट्रेट, मऊरानीपुर झाँसी ।

दाण्डिक वाद संख्या - 1296/ 2019

सरकार

बनाम

धर्मपाल ।

धारा- 60 आबकारी अधिनियम,

थाना- उल्दन, जिला- झाँसी ।

मु०अ०सं०- 49/ 2019

आरोप

मैं गरिमा सक्सेना, सिविल जज (जू०डि०) / न्यायिक मजिस्ट्रेट, मऊरानीपुर, झाँसी आप अभियुक्त धर्मपाल को निम्नलिखित आरोप से आरोपित करती हूँ-

1- यह कि दिनांक- 23. 03. 2019 को स्थान- कन्या प्रा० स्कूल उल्दन के पास थाना- उल्दन , जिला- झाँसी में पुलिस द्वारा आपके कब्जे से घटना स्थल पर 30 लीटर अवैध देशी शराब बरामद की गयी, जिसे रखने का आपके पास कोई लाइसेन्स नहीं था । इस प्रकार आपने धारा- 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है ।

उक्त आरोपों को पढ़कर अभियुक्त को सुनाया एवं समझाया गया तो अभियुक्त ने आरोप से इंकार किया एवं विचारण की मांग की ।

दिनांक - 21. 04. 2026

**न्यायिक मजिस्ट्रेट,
मऊरानीपुर, झाँसी ।**

एतद्द्वारा आप अभियुक्त को निर्देशित किया जाता है कि आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जाएगा ।

दिनांक - 21. 04. 2026

**न्यायिक मजिस्ट्रेट,
मऊरानीपुर, झाँसी ।**